

उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग-5
संख्या क0नि0-5-2707/11-2005-500(104)-2004
लखनऊ, 15 जुलाई, 2005
अधिसूचना
आदेश

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियम) अधिनियम, 1974, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित, उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 29 के अधीन गठित विकास प्राधिकरणों द्वारा या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1966) के अधीन गठित और आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा या उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1976) के अधीन गठित किसी औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा या कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1956) के अधीन गठित और औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा दृष्टिहीन/विकलांग व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित किसी भवन या भूखण्ड के अन्तरण के लिए हस्तान्तरण की लिखत या पट्टाधृत अधिकारों का पूर्ण स्वामित्व अधिकारों के संपरिवर्तन की लिखत पर अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन प्रभार्य या अनुच्छेद 35 के अधीन पट्टा लिखत पर आवंटित एक लाख रुपये के मूल्य तक की अचल सम्पत्ति पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को माफ करते हैं। यदि ऐसी अचल सम्पत्ति का मूल्य एक लाख रुपये से अधिक हो तो आवंटितों को ऐसी अचल सम्पत्ति के उस मूल्य पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना होगा, जो एक लाख रुपये से अधिक हो।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दृष्टिहीनता/विकलांगता प्रमाण-पत्र का परिशीलन कर सकता है। दृष्टिहीनता/विकलांगता प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में संदेह की स्थिति में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये मूल प्रमाण-पत्र को मांग सकता है और दि परसन्स विद डिसएविलिटीज (ईक्वल अपारचयूनिटीज, प्रोटेक्शन आफ राइट्स एण्ड फुल पार्टिसिपेशन) एक्ट, 1995 (एक्ट नं 01 आफ 1996)

के अधीन चिकित्सा अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अद्यतन शासनादेशों के अधीन उसका परीक्षण कर सकता है।

आज्ञा से,
अतुल चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव।